

**न्यायालय-श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज**  
**बंटवारा वाद सं०:-47/2019**

नगीना खातून एवं अन्य.....वादिनीगण  
बनाम  
शत्रुधन पड़ित एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<b>DATE</b>	<b>ORDER</b>	<b>REMARKS</b>
<b>28.07.2025</b>	<p>उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादिनीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.07.2025 पर सुना।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश (ORDER)</b></p> <p>वादिनीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.07.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा दिनांक 25.03.2019 को बीबी बुधना बनाम बीबी खुशबु नेशा के नाम निबंधित बकसीसनामा दस्तावेज दिनांक 23.03.1979 और प्रतिवादी खैराती मियां द्वारा भरत पड़ित व० के नाम बैयनामा दस्तावेज दिनांक 03.07.1990 की सच्ची प्रतिलिपी दाखिल किया गया है, जिसे न्यायहीत में प्रदर्श करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी द्वारा दाखिल दस्तावेजों को प्रदर्श करने की कृपा करें।</p> <p>प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से वादिनीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और खारिज योग्य बताया गया है।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादिनीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में वादिनीगण का आवेदन दिनांक 11.07.2025 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें।</p> <p>आगामी दिनांक 13.08.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज</p>	